न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 158 / 2025

1 बीदासर रिनिवेबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड { BIDASAR RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED } लक्ष्मी निवास, नियर पावर हाउस, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू डायरेक्टर लक्ष्मीनारायण केवटिया व राम प्रताप केवटीया तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 मुस्ताक पुत्र दिनेशाह जाति फकीर निवासी नेक नगर बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2 याकूब पुत्र दिनेशाह जाति फकीर निवासी नेक नगर बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3 कय्यूम पुत्र दिनेशाह जाति फकीर निवासी नेक नगर बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4 श्रीमती असगरी पत्नी निजामुदीन जाति लौहार निवासी स्टेडीयम के पास बीदासर तह. बीदासर चूरू
5 फिरोज खिलजी पुत्र निजामुदीन जाति लौहार निवासी स्टेडीयम के पास बीदासर तह बीदासर चूरू
6 मोहम्मद समून पुत्र निजामुदीन लुहार जाति लौहार निवासी स्टेडीयम के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
7 फिरोजा पुत्री निजामुदीन जाति लौहार निवासी स्टेडीयम के पास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
8 नजमा पुत्री निजामुदीन जाति लौहार निवासी स्टेडीयम के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
9 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय बीदासर (चूरू)
10 उप पंजीयक महो. उप पंजीयक कार्यालय बीदासर चूरू

प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :—

1 वादी — श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 5, 8 अख्तर सोलंकी एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 9 — पैरोकार राज.

दिनांक :— 15 / 11 / 2025

निर्णय

1 वाद पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग का खेत खसरा नम्बर 1501 रकबा 9.4215 हैक्टेयर (37—05 बीघा) वाके रोही ग्राम कालेरा की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है उपरोक्त विवादित आराजी खातेदारी भूमि में वादी का 13—10 बीघा हिस्सा है जो वादी का खरीद के वक्त से उक्त खसरे की दक्षिणी पाखी की अगूणी सींव से आथुणी सींव तक तथा व पूर्वी पाखी का उतरी सींव से दक्षिणी सींव तक तथा वर्तमान में चालू पूर्वी तरफ के कच्चे रास्ते के खांचा भूमि तक कब्जा अधिकार में है जिस पर वादी की पुख्ता पक्की सींव करके तारबन्दी की हुई है वादी का खरीद के वक्त से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है। वादी स्वयं द्वारा काश्त की जा रही है वादी और प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 8 का खान पान लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है परन्तु वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित रहने से वादी

लगातार —2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में एवं राजस्व लगान चुकाने में भारी परेशानीया होती है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह न्यायालय में वाद पेश कर अपने हिस्सा की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा कर अपने नाम पृथक अंकित करवा कर लगान का विभाजन करावें। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 8 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 8 वादगत खेत की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है, मकान है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, हम तुम्हारें हिस्सा की भूमि को भी काश्त करेगे, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 8 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 31–10–2025 को निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि पर जहां चाहेगे वहां जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 8 सख्या व बल में अधिक होने तथा पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना ही वादी को उनके हक हिस्सा की भूमि से जबरन बैदखल करें, वादी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादगत खेत में वादी 13–10 बीघा का संयुक्त खातेदार कृषक होने से तथा कब्जा काश्त होने से वादाधार वाद प्राप्त है। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 8 द्वारा दिनांक 31–10–2025 को ऐलानिया धमकीया देने से वादीया को वाद हैतुक प्राप्त है। वाद वादी के संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती का है। वादगत खेत रोही ग्राम कालेरा की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। राजस्थान सरकार भू–धारक है जो वाद में एक आवश्यक पक्षकार है इसलिए कानूनी आपत्तियों को मध्य नगर रखते हुए इस वाद में प्रतिवादी सख्या 9 नो के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादीगण भूमाफिया लोगो से साठगांठ रखने वाले बलशाली व्यक्ति है तथा किसी भी वक्त वादीया के कब्जा काश्त की भूमि को बाला बाला खातेदारी दर्ज करवा कर विक्रय हस्तान्तरित कर सकते है तथा वादी को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर सकते है इस कारण मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जो धारा 80(2)सी.पी.सी. के नोटिस से छूट लेकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। वाद वादी दो प्रतियों में मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जायें कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1501 रकबा 9.4215 हैक्टेयर (37–05 बीघा) वाके रोही ग्राम कालेराकीढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू की संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी के हिस्सा पांती में आई भूमि की खातेदारी वादी के नाम पृथक अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित किया जावें की वादगत खेत खसरा नम्बर 1501 रकबा 9.4215 हैक्टेयर (37–05 बीघा) वाके रोही ग्राम कालेराकीढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू का विधिवत रूप से जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि नहीं करें और ना ही जबरन बल पूर्वक कब्जा करके वादी को उनके हिस्सा पांती की भूमि से बैदखल करें,

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

ना ही वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी पैदा स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावें, ना ही आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। प्रतिवादी सख्या 9 को आदेश फरमाया जावें की मुताबिक निर्णय व डिकी राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो हितकर वादी को दिलवाया जावे आदि आदि अनुतोष का प्रस्तुत किया।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7 की और से श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा मय राजीनामा, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। राजीनामा मय नजरी नक्शा वाद जांच शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक राजीनामा वादगत खेत के खातेदार निजामुदीन का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादी स. 4 ता 8 पक्षकार है प्रकरण में प्रतिवादी स. 8 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 6, 8 बावजूद विधिवत तामील के हाजिर अदालत नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकरण में प्रतिपक्ष द्वारा किसी प्रकार का जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई। प्रकरण में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के कारण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। राजीनामा में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार विभाजन का निवेदन किया गया है। प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का उजर प्रस्तुत नहीं किया जाने के कारण दावा को नहीं मानने का कोई आधार पत्रावली में नहीं होने के कारण दावा राजीनामा के आधार पर डिकी किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद बाबत विभाजन जरिये राजीनामा, संलग्न नक्शा के अनुसार अन्तिम रूप से डिकी इस प्रकार किया जाता है कि वादगत खेत खाता नम्बर 254 खेत खसरा नम्बर 1501 रकबा 9.4215 हैक्टेयर वाके रोही कालेराकीढ़ाणी तहसील बीदासर में राजीनामा के सलंग्न नजरीनक्शा में वर्णितानुसार वादी का पृथक एवं प्रतिवादी स. 1 ता 3 पृथक तथा प्रतिवादी सख्या 4 ता 8 का पृथक हिस्सापांती अनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार तथा राजीनामा, संलग्न नजरी नक्शा में अंकितानुसार पाखीयां हिस्सा पांती में रखते हूए खातेदारी दर्ज कर अलग अलग लगान कायम किया जावे। राजीनाा व नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा। इस प्रकार तहरीर प्रतिवादी सख्या 9 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे। इस प्रकार अन्तिम पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13 / 11 /2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम **डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई**

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाव्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम........बीदासर जिला चूरू ....व

इजलास.............पीठासीन अधिकारी............ श्री अमीलाल यादव R.A.S.

बीदासर रिनिवेबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मुस्ताक आदि

दावा बाबत ......विभाजन, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 158/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ......हाजरी श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेट, पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलेह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ..... वादगत खेत खाता नम्बर 254 खेत खसरा नम्बर 1501 रकबा 9.4215 हैक्टेयर वाके रोही कालेराकीढ़ाणी तहसील बीदासर में राजीनामा के सलंग्न नजरीनक्शा में वर्णितानुसार वादी का पृथक एवं प्रतिवादी स. 1 ता 3 पृथक तथा प्रतिवादी सख्या 4 ता 8 का पृथक हिस्सापांती अनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार तथा राजीनामा, संलग्न नजरी नक्षा में अंकितानुसार पाखीयां हिस्सा पांती में रखते हूए खातेदारी दर्ज कर अलग अलग लगान कायम किया जावे। राजीनाा व नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। इस प्रकार तहरीर प्रतिवादी सख्या 9 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

फीस ....—............ मुबलिग.........—.........बाबत ....—.......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....—..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....—..........को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ..13..... माह..11..2025

मुहर

दस्तखत............

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)